

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /1358 /2022

दिनांक :21.04.2022

श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 16.05.2022 से 18.05.2022 तक 03 दिनों का *उपार्जित* अवकाश दिनांक 15.05.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
20.04.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/90/2015/ 3102

दिनांक 21.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 3360 दिनांक 18.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती दीपिका सिंह (RJ0919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।


सहायक रजिस्ट्रार